न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 60/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
गोविन्दसिंह पुत्र धनेसिंह रावत निवासी–रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सोजत, पाली 2. बुद्धेसिंह पुत्र नाथूसिंह के का0मु0 2.1 श्रीमती पेपीदेवी पत्नी स्व0 बुद्धेसिंह निवासी–रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली। 2.2 छोटूसिंह पुत्र बुद्धेसिंह निवासी–रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली। 2.3 ढगलीदेवी पुत्री स्व0 बुद्धेसिंह पत्नी दुर्गसिंह, निवासी–रोन्जा तहसील मा0जंक्शन,जिला पाली। 2.4 लक्ष्मीदेवी पुत्री स्व0 बुद्धेसिंह पत्नी बाबूसिंह निवासी– बाणिया माली, तहसील मा.जंक्शन, जिला पाली। 2.5 राधादेवी पुत्र स्व. बुद्धेसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह निवासी– अदाली की ढाणी, तहसील मा0जंक्शन जिला पाली। 2.6 महेन्देसिंह पुत्र हेमसिंह निवासी–रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली। 2.7 सीतादेवी बेवा हेमसिंह निवासी–रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली। 3. चन्द्राराम पुत्र देवाराम गुर्जर निवासी –रायराखुर्द, तहसील सोजत जिला पाली। 4. श्रीमती श्यामकंवर पत्नी हुकमसिंह राजपूत निवासी–गुडा चुतरा, तहसील सोजत जिला पाली। 5. देवराजसिंह पुत्र पाबूसिंह राजपूत निवासी–रायपुर तहसील रायपुर पाली। 6. मानवजीतसिंह पुत्र करणीसिंह राजपूत निवासी–रायपुर तहसील रायपुर पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.03..2018 जो राजस्व अपील संख्या 06/2017 अनवान गोविन्दसिंह बनाम सरकार वगेराह में अति0 जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री ओ0पी. राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री गुलाबसिंह चम्पावत अधिवक्ता रेसपो0 संख्या 2 से 6 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02 जून, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील नामा0 संख्या 349 स्वीकृति दिनांक 20.01.1992 के विरूद्ध पेश की कि उक्त नामा0 गलत रूप से अनेसिंह पुत्र नेतसिंह के नाम बिना कब्जे व बिना एलोटमेन्ट के ख0सं0 2698 मीन रकबा 0.8000 हैक्टर में उपखण्ड अधिकारी सोजत के दिनांक 28.12.1978 के आदेश के आधार पर स्वीकृत कर दिया जो निरस्त किया जावे। जिस पर जमाबन्दी में 2698/2838 दर्ज कर नामा0 स्वीकृत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त अपील को म्याद बाधित व सारहीन होने के कारण दिनांक 13.03.2018 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त नामा0 संख्या 349 स्वीकृत दिनांक 20.01.1992 में अनेसिंह पुत्र नेतसिंह का नाम दर्ज किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा जो भूमि आवंटन किया गया है वह भी गलत रूप से आवंटन किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन स्वीकृत किया गया नामा0 प्रारम्भ से ही शून्य है। वर्ष 1978 से तथाकथित आवंटन से प्रथम 02 वर्षो में कब्जा नहीं होने व रेकार्ड में उसका अमल दरामद नहीं होने से आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य हो गया है। जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का लगभग 1975 से कब्जा काश्त है जो आज दिन भी कायम है। अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का एवं स्थगन बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया। उस दौरान जानबूझकर रेस्पो0 संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 के पक्ष में फर्जी तौर पर रजिस्ट्री दिनांक 27.11.2017 को करवा दी। तब अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत व तहसीलदार कार्यालय के समक्ष नामा0 नहीं भरने हेतु निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपील पत्रावली आदेश में लम्बे समय तक रखी जाकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिनांक 13.3.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट की अपील म्याद बिन्दू पर खारिज कर दी जबकि प्रकरण की परिस्थितियों के मध्येनजर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करनी चाहिये थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि श्री बुद्धेसिंह के पक्ष में वर्ष 1978 में आवंटन होना बताकर वर्ष 1991 में नामा0 दर्ज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सोजत के उक्त दिनांक 4.4.1988 बाबत जिला कलेक्टर पाली कार्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत से जानकारी चाही तब उनके द्वारा उक्त दिनांक 4.4.1988 को कोई आवंटन कैम्प आयोजन का अंकन चालान रजिस्टर में नहीं होना बताया और न ही अनेसिंह को भूमि आवंटन किये जाने सम्बन्धी कोई फॉर्म या दस्तावेज पत्रावली उपलब्ध नहीं पाई गई। ऐसे में अपील को म्याद बिन्दू पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित की जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा दिनांक 27.11.2017 को रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 को किया गया बेचान भी प्रारम्भ से शून्य था जिसके आधार पर उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं हो सकते है। रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में आवंटन के बाबत

तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.5.1995 को पटवारी हल्का खोडिया द्वारा मौका रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन करने, ग्रामवासियों व वार्डपंच व अपीलार्थी के समक्ष मौका देखकर दर्शाया कि ख0सं0 2698/2838 पर बुद्धेसिंह का मौके पर कब्जा काश्त होना नहीं बताया है। उक्त भूमि पर गोविन्दसिंह व उसके भाईयों का कब्जा होना वर्णित किया है। की खातेदारी दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था और विधिवत रूप से आवंटन नहीं किया था। ऐसे में उनके के पक्ष में प्रारम्भ से ही जमाबन्दी में गलत प्रविष्टी कर गलत रूप से खातेदार बताया गया है। श्री बुद्धेसिंह के द्वारा पुलिसथाना बगडी में दिनांक 24.2.99 को रिपोर्ट दी कि ख0सं0 2698/2837 व 2698/2838 पर गोविन्द सिंह का कब्जा है पेडा की डालिया काट दी। जिस पर अभियोग संख्या 21/1999 दर्ज कर बाद अन्वेक्षण तथ्य प्रमाणित नहीं होने पर अदम वकु में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। तत्पश्चात बुद्धेसिंह ने उक्त खसरान भूमि पर कब्जा नहीं होने व गोविन्दसिंह का कब्जा होने बाबत व आवंटन के अनुरूप तरमीम करवाने बाबत प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर पाली को दिनांक 8.1.2013 को पेश किया था। ऐसी परिस्थितियों में यह प्रमाणित हो जाता है कि नामा0 संख्या 340 गलत रूप से बुद्धेसिंह के पक्ष में कब्जा काश्त नहीं होने के बावजूद स्वीकृत किया गया था। जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय में म्याद बाबत गलत निर्णय नजीरों का सहारा लेते हुए तथाकथित आवेदन दिनांक 29.7.16 को प्रस्तुत करना व 16.8.16 को प्रतिलिपि प्राप्त किये जाने का अंकन किया है जो उक्त अपील के रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। उनके द्वारा म्याद के बिन्दू पर तथ्यों का विधिपूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं कर वास्तविक सत्यता की जॉच करने व अपीलार्थी को न्यायिक निर्णय प्रदान हेतु गंभीर चेष्टा नहीं की और निर्णय पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है। उक्त भूमि के खरीददारान की नक्शें में हुई फर्जी तरमीम को गोविन्द सिंह अपीलान्ट द्वारा सहायक कलेक्टर सोजत के समक्ष 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एवं खातेदारी घोषणा हेतु राजस्व वाद पेश कर निरस्त करवाने हेतु पेश किया हुआ है जो वर्तमान में विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 23.01.2023 नियत है। अपीलान्ट को उक्त भूमि पर 1975 से आज दिन तक कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन अन्य व्यक्तियों को किये जाने से पूर्व उन्हें प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा भी रेस्पो0 को गलत रूप से लाभ पहुंचाने की नियत से गुणावगुण पर निर्णय नहीं कर दिनांक 13.3.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 13.3.2018 को निरस्त कर अपीलार्थी को ख0सं0 2698/2838 का खातेदार काश्तकार घोषित करने या उसके पक्ष में विधि अनुसार आवंटन के आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णय नजीरे प्रस्तुत तथा आरआरडी 1990 पेज 477, आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 2002 पेज

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 को उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा दिनांक 4.4.1988 को ग्राम रायरा में भूमि खसरा संख्या 2698/2837 मीन 0.9600 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का आवंटन किये जाने के आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 349 दिनांक 20.01.1992 को विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया है। ऐसे में अपीलाधीन नामा0 जिस आवंटन आदेश के आधार पर स्वीकृत किये गये है, जब तक उसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक उसकी पालना में स्वीकृत नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट अपीलाधीन नामा0 से व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटित भूमि में उनका कोई सरोकार नहीं है और न ही उनके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि थी।

रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आवंटित भूमि के मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त पाया गया था जिसके आधार पर ही रेस्पो0 संख्या 2 बुद्धेसिंह को भूमि का आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन पत्रावली में गोविन्दसिंह अपीलान्ट की साख अंकित है। उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा वर्ष 1988–1990 में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया था और उन्हीं आवंटन आदेश के अनुसार अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किये गये है जो विधि अनुकूल उचित है व बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 349 स्वीकृति दिनांक 20.01.1992 के विरूद्ध वर्ष 2017 में प्रथम अपील प्रस्तुत की है जिसके विलम्ब के सम्बन्ध में विलम्ब अवधि को कन्डोन करने हेतु धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाये जिसके आधार पर विलम्ब को क्षमा किया जा सके। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की प्रथम अपील को म्याद के आधार पर खारिज किया गया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट द्वारा मौके पर आवंटी के अलावा तथाकथित अन्य व्यक्ति का कब्जा होने को आधार मानते हुए आवंटन पर संदेह व्यक्त कर दायर नामा0 की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगाने के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु उल्लेख किया है।

रेस्पो0 संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 को अपने हक–हिस्से में राजस्व रेकर्ड में अंकित खसरान भूमि का बेचान जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के किया गया है जिस पर उनके द्वारा कब्जा लिया जाकर कब्जा काश्त किया जा रहा है एवं आज दिन भी उनका कब्जा चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 ता 6 के द्वारा विधि के अनुरूप ही भूमि का हस्तान्तरण/बेचान किया है। जिसके आधार पर अपीलान्ट ने उन्हें अपील पक्षकार संयोजित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की अपील में अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करवाये जाने हेतु गुणावगुण बाबत दर्शाये गये आधारों को भी पर्याप्त नहीं माना एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों को गौर करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक ... की अपील खारिज की है वो उचित होने से

आदेश बहाल रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में नजीर आरआरटी 2019(2)पेज 984,
2017(1)आरआरटी पेज–117, आरआरटी 2010(2)पेज 1222, आरआरडी 2009 पेज 531

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय
की पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय इत्यादि का अवलोकन
एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि नामा0 संख्या 349 दिनांक 20.01.1992
को स्वीकृत किया गया। उक्त नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपील वर्ष 2017 में 25 साल के
विलम्ब से दायर की गई। राजस्व रेकर्ड में नामा0 का कारण ''श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
सोजत के आवंटन आदेश दिनांक 28.12.1978 के भूमि आवंटन होने तथा मौके पर कब्जा
काश्त होने से नामा0 भरा गया'' लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में
विलम्ब का कारण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रकरण में जानकारी में आना
प्रतिवेदित किया है जो कि ठोस विश्वसनीय व उचित कारण की परिभाषा में नहीं आता
है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा AIR 2014 SUPREME COURT 746 के पेरा
15 में लिमिटेशन एक्ट के संबंध मे इस प्रकार पारित किया गया है कि–

The law on the issue can be summarised to the effect that where a case has
been presented in the court beyond limitation, the applicant has to explain the
court as to what was the "sufficient cause" which means an adequate and
enough reason which prevented him to approach the court within limitation. In
case a party is found to be negligent, or for want or bonofide on his part in the
facts and circumstances of the case, or found to have not acted diligently or
remained inactive, there cannot be a justified ground to condone the delay. No
court could be justified in condoning such an inordinate delay by imposing any
condition whatsoever. The application is to be decided only within the
parameters laid down by this court in regard to the condonation of delay. In
case there was no sufficient cause to prevent a litigent to approach the court
on time condoning the delay without any justification, putting any condition
whatsoever, amounts to passing an order in violation of the statutory
provisions that tantamounts to showing utter disregard to the legislature

इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा मात्र नामान्तकरण की अपील की है। मूल आवंटन
आदेश जिसका हवाला नामान्तरकरण में दिया गया है, उसको चुनौती नहीं दी गई है।
उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश
प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन व विश्लेषण करने के उपरान्त अपील
अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली
के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय
आज दिनांक 02 जून, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,